BSES
BSES Yamuna Power Limited
a joint venture with GONCTD

संवाद

www.facebook.com/bsesdelhi https://twitter.com/BSESDELHI

नवंबर - 2025

सुरक्षा अलर्ट:

खुद की सुरक्षा के लिए बिजली उपकरणों से उचित दूरी बनाए रखें

दिल्ली में बड़े पैमाने पर निर्माण संबंधी गतिविधियां हो रही हैं। इनमें से कई आवास और अनाधिकृत निर्माण/विस्तार, कई कॉलोनियों में खतरनाक ढंग से डिस्कॉम के ओवरहेड लो वोल्टेज (एलवी), हाई वोल्टेज (एचवी), एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) लाइनों और बिजली के इंस्टॉलेशन के करीब आ गए हैं। यह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की धारा 62 और 63 का सीधा उल्लंघन है। (सुरक्षा व बिजली आपूर्ति से संबंधित पैमानों) नियमावलियां, 2023 ("सीईए सेफ्टी रेगुलेशंस, 2023"), जिसे इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट 2003 की धारा 53 व 68 (5), तथा धारा 161 के साथ पढ़ा जाए, जिनमें समय–समय पर संशोधन होता रहा है।

इमारतों के विस्तार, ढांचे, प्रोजेक्शंस, बालकनी, छज्जा या बाउंड्री वॉल आदि के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रावधानों के अनुसार, बिजली के इंस्टॉलेशनों से न्यूतम वर्टिकल व हॉरिजेंटल दूरी बनाए रखें।

लाइन/ उपकरण	न्यूनतम उचित दूरी जहां लाइन किसी भवन/ढांचे/ बालकनी आदि के ऊपर से गुजरती है	न्यूमतम समतलदूरी/ हॉरिजेंटल क्लियरेंस जहां लाइन किसी बिल्डिंग/ ढांचे/बालकनी आदि के निकट से गुजरती है
650 वोल्ट्स तक के वोल्टेज की लाइनें	उच्चतम पॉइंट से 2.5 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 650 वोल्ट से अधिक हो और जो 11000 वोल्ट तक या सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 1.2 मीटर
हाई वोल्टेज लाइन जो 11000 वोल्ट से अधिक हो तथा 33000 वोल्ट तक व सहित हो	उच्चतम पॉइंट से 3.7 मीटर	निकटतम पॉइंट से 2 मीटर
एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाइन 33 केवी वोल्ट से ऊपर	3.7 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33000 वोल्ट या उसके भाग पर)	2 मीटर (तथा 0.30 मीटर, हर अतिरिक्त 33 केवी या उसके भाग पर)

ये नियम आपकी सुरक्षा के निए बनाए गए हैं, ताकि दुर्घटनाओं, प्राणघातक दुर्घटनाओंऔर बिजली आपूर्ति में बाधाओं को टाला जा सके।

बीएसईएस एक बार फिर ऐसे अनाधिकृत निर्माणों का स्वामित्व रखने वालों से अनुरोध करती है कि वे तुरंत अपने अवैध और अनाधिकृत निर्माणों को बिजली की लाइनों व उपकरणों के पास से हटा लें। उपरोक्त नियमावलियों का उल्लंघन करने वाले किसी सी पत्यक्ष या परोक्ष हानि (जीवन, संपत्ति, आदि से जुड़ी) के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे और निर्धारित कानूनों के तहत कार्रवाई किए जाने के हकदार होंगे।

ई-रिक्शा चार्जिंग के लिए वैध बिजली कनेक्शन लें

अवैध लाइनों/ कनेक्शनों से ई–रिक्शा चार्जिंग को कहें– नो। अवैध चार्जिंग से आपकी जान को खतरा हो सकता है और आर्थिक नुकसान भी। याद रखें, अवैध चार्जिंग एक बिजली चोरी है और इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, 2003 के प्रावधानों के तहत, जुर्माना और जेल भी हो सकती है।

ई–रिक्शा की चार्जिंग के लिए बीवाईपीएल से कनेक्शन लें, जो आपके लिए सुरक्षित और वैध होगा।

हम हमेशा आपकी मदद के लिए उपलब्ध हैं:

अपने निकटतम बीवाईपीएल ऑफिस में विजिट करें या बीवाईपीएल हेल्पलाइन 19122 पर कॉल करें।

कंज्यूमर अलर्ट

सुरक्षित तरीके से भुगतान कैसे करें

हमेशा अलर्ट रहें और अपने बिजली बिल का भुगतान बोनाफ़ाइड प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ही करें

	बीआरपीएल	बीवाईपीएल
बीएसईएस वॉट्सऐप	बस "Hi" लिखें और उसे 8800919123 पर भेज दें	बस "Hi" लिखें और उसे 8745999808 पर भेज दें
मोबाइल ऐप*	बीआरपीएल पावर ऐप	बीवाईपीएल कनेक्ट
वेबसाइट*	www.bsesdelhi.com	
ई–वॉलेट्स	पेटीएम/फोनपे/गूगलपे/अमेजॉन पे	
क्यूआर कोड	बिल पर छपा	
पे नाउ ऑप्शन	बिल पर छपा	

BSES की ओर से कंज्यूमर अलर्ट

ताकि बिजली बिल के भुगतान संबंधी धोखाधड़ी वाले कॉल्स और मैसेज के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा सके

फीडबैक
अपने फीडबैक व सुझाव भेजें: कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़डूमा, दिल्ली–110032
सीआईएन: CIN:U40109DL2001PLC111525, फोन: 11-4124-7111/4124-9273, ईमेल: bypl.feedback@relianceada.com, वेबसाइट: www.bsesdelhi.com

मोबाइल ऐप, टोल फ्री और हेल्पलाइन नंबरों जैसे सुविधाजनक माध्यमों से बिजली गुल की शिकायत दर्ज कराएं

टॉल फ्री 24x7
19122

बिजली चोरी संबंधी
8588892156
बिजली गुल की शिकायत
8745999808

स्ट्रीटलाइट
41999808

बीवाईपीएल, शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़डूमा, दिल्ली – 110032 के लिए फ्रेंड्स कलर इमेजेस प्राइवेट लिमिटेड, 148, सेक्टर 4, आईएमटी मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा – 122050 द्वारा मुद्रित